


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला गुना

कार्यालय का पता:— रेवती लॉज हाट रोड गुना (म0प्र0)

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन संबंधी 17 बिन्दुओं की जानकारी।

बिन्दु क्र. 1 –



- (1) **पंजीयन शाखा** – सहकारी संस्थाओं का पंजीयन संबंधी नस्तियों को प्रस्तुत करना, पंजीयन उपरांत सुरक्षित रखना।
- (2) **शिकायत शाखा** – कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को प्रस्तुत करना, जांच अधिकारी नियुक्त करवाना, प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करना एवं नस्तियों को सुरक्षित रखना।
- (3) **वसूली कक्ष** – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना के धारा 84 एवं 85 के प्रकरणों को तैयार करवाकर विक्रय अधिकारियों को वसूली हेतु भिजवाना।
- (4) **विपणन कक्ष** – सहकारी संस्थाओं के विपणन संबंधी कार्य यथा समर्थन मूल्य की खरीदी, विपणन संस्थाओं के देख-रेख संबंधी कार्य।


- (5) **निर्वाचन कक्ष** –पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कार्य सम्पन्न करवाना एवं निर्वाचन रिकार्ड सुरक्षित रखना।
- (6) **योजना कक्ष** – शासन द्वारा विभाग को विभिन्न मदों में सहकारी सदस्यों के लाभ हेतु प्राप्त बजट का आहरण कर संबंधित संस्थाओं को उपलब्ध कराना एवं योजना संबंधी रिकार्ड को सुरक्षित रखना।
- (7) **लेखा कक्ष** –कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, आदि का कोषालय से आहरण कर भुगतान करवाना एवं लेखा संबंधी रिकार्ड को सुरक्षित रखना।
- (8) **स्थापना कक्ष** – कार्यालय के समस्त कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड को सुरक्षित रखना, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अवकाश की स्वीकृति करना।
- (9) **रीडर कक्ष** – सहकारी अधिनियम की धाराएं 64, 55(2) के प्रकरणों को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (10) **विधि कक्ष** – सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के प्रकरणों में कार्यवाही कराना।
- (11) **सा.वि.प्र.** –सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त पत्रों को प्रस्तुत कर कार्यवाहियां कराना।
- (12) **सामान्य कक्ष** – विधान सभा सत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर तैयार करवाना, मासिक अर्द्ध शासकीय पत्र की जानकारी मुख्यालय भिजवाना एवं सभी कक्षों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

बिन्दु क्रमांक 2

क्रमांक	पदस्थ अधिकारी का नाम	पद नाम	कर्तव्य
1	श्री के.के. शर्मा	उप पंजीयक प्रशासकीय शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ	म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं म.प्र. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां करना ,विभिन्न बैठकों में उपस्थित होना,कार्यालय के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना ,न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई करना। कर्मचारियों के वेतन आहरित करना, उनके क्लेम स्वीकृत करना। कोषालय से आहरण कर भुगतान करना।
2	श्री अमर सिंह	वरिष्ठ सहकारी	विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाना,मासिक

		निरीक्षक	अर्धशासकीय पत्र की जानकारी तैयार करवा कर मुख्यालय प्रेषित करना, बैठकों संबंधी जानकारी संग्रहित करना ,टी.एल.पत्रों की जानकारी संग्रहित करना ,सभी कक्षों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
3	श्री आर.पी. बरेलिया	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	वसूली अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना।
4	श्री जी.एन.शर्मा	सहकारी निरीक्षक	निर्वाचन ,विपणन कक्ष संबंधी समस्त कार्यों का संपादन करना।
5	श्री एम.के.मानेश्वर	सहकारी निरीक्षक	कार्यालय में प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधी कार्यवाही करवाना।
6	श्री कोमलसिंह अहिरवार	सहायक ग्रेड 2	योजना एवं असाख कक्ष से संबंधित कार्यों का संपादन।
7	श्री दंगलसिंह लहरी	सहायक ग्रेड 2	पंजीयन,परिसमापन एवं साख कक्ष से संबंधित कार्यों को संपादित करना।
8	श्री शरीफ अहमद	सहायक ग्रेड 3	स्थापना कक्ष,सा.वि.प्र. से संबंधित कार्यों को संपादित करना।
9	श्री नवीन शर्मा	सहायक ग्रेड 3	लेखा एवं रीडर कक्ष संबंधि कार्यों का संपादन करना
10	श्री देवीशंकर	भृत्य	अंकेक्षण कार्यालय में कार्य करना।
11	श्री राजू अष्ठाना	भृत्य	कार्यालय की डाक लगाना।
12	श्री घनश्याम	भृत्य	उप पंजीयक की घंटी सुनना।
13	श्री उदयभान	भृत्य	अन्य कक्षों की घंटी सुनना।
14	श्री त्रिलोकचंद	भृत्य	आवक-जावक एवं टायपिंग संबंधी कार्य।
15	श्री हीरालाल	भृत्य	कार्यालय की डाक लगाना।
16	श्री महेशसिंह	भृत्य	जिलाधीश कार्यालय में स्थानीय निर्वाचन शाखा में संबद्ध।
17	श्री नंदकिशोर	भृत्य	अंकेक्षण कार्यालय की डाक लगाना।

बिन्दु क्रमांक 3 –



बिन्दु क्रमांक 4 – प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीयन की समय सीमा – समिति के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन के एक सप्ताह के अंदर संगठक की नियुक्ति की जावेगी एवं समिति का पंजीयन प्रस्ताव कार्यालय में प्राप्त होने के 90 दिवस के अंदर उस पर निर्णय लिया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक 5 – (अ) म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960

(ब) म.प्र. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999

बिन्दु क्रमांक 6 –

क्र.	रिकार्ड का नाम	रिकार्ड का प्रकार	रिकार्ड की प्रकृति	रिकार्ड की अवधि
1	म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत संस्थाएं	रजिस्टर	विभिन्न सहकारी संस्था से संबंधित	20.01.1965 से
2	म.प्र.स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत संस्थाएं	रजिस्टर	स्वायत्त सहकारिताओं से संबंधित	13.07.2000 से
3	केश बुक	रजिस्टर	आय-व्यय के संबंध में	01.04.2005 से
4	न्यायालयीन प्रकरण	रजिस्टर	न्यायालयीन पंजी	1.1.1992 से

बिन्दु क्रमांक 7 – इस प्रकार की कोई समिति कार्यालय स्तर पर गठित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक 8 — इस प्रकार की कोई समिति कार्यालय स्तर पर गठित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक 9 —

क्र०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद नाम	एस.टी.डी. कोड नं०	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्या०	नि०			
1	श्री के.के.शर्मा	उप पंजीयक	07542	252233	—	—	—	एफ०13 केन्ट गुना
2	श्री अमरसिंह	व०स०नि०	07542	252233	—	—	—	हनुमान कॉलोनी गुना
3	श्री आर.पी. बरेलिया	व०स०नि०	07542	252233	—	—	—	हनुमान कॉलोनी गुना
4	श्री जी.एन.शर्मा	स०नि०	07542	252233	—	—	—	सिंह टॉवर ए०बी०रोड गुना
5	श्री एम.के. मानेश्वर	स०नि०	07542	252233	—	—	—	तेल घानी चौराहा गुना
6	श्री के.पी. वर्मा	स०वि०अ०	07542	252233	—	—	—	सीताराम कॉलोनी गुना
7	श्री कोमलसिंह अहिरवार	सहायक ग्रेड 2	07542	252233	—	—	—	हरिनंदन कॉलोनी गुना
8	श्री दंगलसिंह लहरी	सहायक ग्रेड 2	07542	252233	—	—	—	घोसी पुरा गुना
9	श्री नवीन शर्मा	सहायक ग्रेड 3	07542	252233	—	—	—	हीरा बाग गुना
10	श्री शरीफ अहमद	सहायक ग्रेड 3	07542	252233	—	—	—	बजरंग गढ गुना
11	श्री देवीशंकर	भृत्य	07542	252233	—	—	—	बजरंग गढ गुना
12	श्री राजू अष्ठाना	भृत्य	07542	252233	—	—	—	राधा कॉलोनी गुना
13	श्री उदयभान	भृत्य	07542	252233	—	—	—	शिवाजी नगर गुना

14	श्री त्रिलोक चंद	भृत्य	07542	252233	—	—	—	श्री राम कॉलोनी गुना
15	श्री घनश्याम	भृत्य	07542	252233	—	—	—	श्री राम कॉलोनी गुना
16	श्री हीरालाल	भृत्य	07542	252233	—	—	—	हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुना
17	श्री महेशसिंह	भृत्य	07542	252233	—	—	—	कैची कारखाने के पास गुना
18	श्री नंदकिशोर	भृत्य	07542	252233	—	—	—	निचला बाजार गुना

बिन्दु क्रमांक 10

क्रमांक	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद नाम	मासिक वेतन
1	श्री के.के.शर्मा	उप पंजीयक	20,538.00
2	श्री अमरसिंह	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9,580.00
3	श्री आर.पी. बरेलिया	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	11,528.00
4	श्री जी.एन.शर्मा	सहकारी निरीक्षक	9,941.00
5	श्री एम.के.मानेश्वर	सहकारी निरीक्षक	10,140.00
6	श्री के.पी. वर्मा	सहकारिता विस्तार अधि.	9,871.00
7	श्री कोमलसिंह अहिरवार	सहायक ग्रेड 2	7,473.00
8	श्री दंगलसिंह लहरी	सहायक ग्रेड 2	7,632.00
9	श्री नवीन शर्मा	सहायक ग्रेड 3	5,088.00
10	श्री शरीफ अहमद	सहायक ग्रेड 3	6661.00
11	श्री देवीशंकर	भृत्य	5023.00
12	श्री राजू अष्ठाना	भृत्य	4927.00
13	श्री उदयभान	भृत्य	5023.00
14	श्री त्रिलोक चंद	भृत्य	4927.00
15	श्री घनश्याम	भृत्य	5039.00
16	श्री हीरालाल	भृत्य	4634.00
17	श्री महेशसिंह	भृत्य	5023.00
18	श्री नंदकिशोर	भृत्य	4944.00

बिन्दु क्रमांक 11 —

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल का आदेश क्रमांक

/बजट

1/2004 /271 भोपाल दिनांक 14.09.2004 के द्वारा वर्ष 2004-05 में मांग संख्या 41 एवं 64 में निम्न प्रकार

आबंटन प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध राशि निम्नवत आहरण कर भुगतान की गई।

क्र.	मांग संख्या एवं योजना कार्यक्रम का नाम	प्राप्त आबंटन		आहरित राशि		किसको भुगतान की गई
		जिला गुना हेतु	जिला अशोक नगर हेतु	जिला गुना हेतु	जिला अशोक नगर हेतु	
1	41-151-अ.जा./अजजा के सदस्यों को लेम्पस के अंश कय करने हेतु अनुदान	80000	00	80000	00	प्रा0कृ0साख सहकारी संस्थाओ के सदस्यो को
2	41-5006-ज.जा.सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	60000	00	60000	00	संबंधित संस्थाओं को
3	41-5005-अल्पावधि ऋणों पर ब्याज अनुदान	10000	10000	9000	9000	प्रा0कृ0साख सहकारी संस्थाओ के सदस्यो को
4	41-386-आदिवासी अनु.जाति. के सदस्यों को भूमि विकास बैंक हिस्सा पूंजी हेतु ऋण	40000	20000	00	00	—
5	41-439-आदिवासियों को सामाजिक उपभोग ऋण	60000	00	60000	00	प्रा0कृ0साख सहकारी संस्थाओ के सदस्यो को
6	64-774-कमजोर वर्ग के अ.जा. के कृषकों एवं श्रमिकों को प्राथमिक साख समितियों के अंश कय करने हेतु अनुदान	80000	60000	79965	60000	प्रा0कृ0साख सहकारी संस्थाओ के सदस्यो को
7	64-4547-लघु एवं सीमांत कृषकों को अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज अनुदान	30000	20000	30000	20000	प्रा0कृ0साख सहकारी संस्थाओ के सदस्यो को

8	64-4697- कृषकों को उपभोग ऋण	170000	120000	170000	120000	प्रा0कृ0साख सहकारी संस्थाओ के सदस्यो को
9	64-5029-अ.जा. के सदस्यों को भूमि विकास बैंक के अंश कय करने हेतु ऋण	10000	10000	00	00	-

बिन्दु क्रमांक 12 —

क्र.	संस्था का नाम	आंबटित राशि	हितग्राहियों की संख्या	वर्ष
1	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 15 संस्थाये	50000	15 संस्थाओं के 500 सदस्य	2004-2005
2	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 140 संस्थाये	139965	140 संस्थाओं के 3110 सदस्य	2004-2005
3	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 8 संस्थाये	80000	8 लेम्पस संस्था 400सदस्य	2004-2005
4	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 8 संस्थाये	60000	8 लेम्पस संस्थाएं	2004-2005
5	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 10 संस्थाये	18000	10 संस्थाएं	2004-2005
6	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 8 संस्थाये	60000	8 लेम्पस संस्थाएं 120 सदस्य	2004-2005
7	सी.सी.बी गुना से संबद्ध 140 संस्थाये	290000	140 संस्थाओं के 580 सदस्य	2004-2005

बिन्दु क्रमांक 13 — जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अ.जा. एवं अ.ज.जा. के सदस्यों को वर्ष 2004-05 मे अंश कय हेतु अनुदान ,ऋणों पर ब्याज अनुदान ,सामाजिक उपभोग हेतु ऋण प्रदान किये गए है।सूची अद्यतन की जा रही है।

बिन्दु क्रमांक 14 — (अ)विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं के संबध में म.प्र.सहकारी समितियां अधिनियम 1960 एव म.प्र.स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की नस्तियां ।

(ब) म.प्र. शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों के आहरण एवं भुगतान की जानकारी ।

(स) कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के आहरण एवं भुगतान की नस्तियां ।

(द) न्यायालयीन प्रकरण ।

बिन्दु क्रमांक 15 — इस कार्यालय में पुस्तकालय ,पब्लिक काउन्टर खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 16 — कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी,लोकसूचना अधिकारी, सहायक लोकसूचना अधिकारी नियुक्त किए जा चुके है जिनके माध्यम से सूचनाएं प्रदान की जाएगी ।

क्रमांक	नाम	पदनाम	दायित्व
1	श्री के.के. शर्मा	उप पंजीयक सहकारी संस्थाये	प्रथम अपीलीय अधिकारी
2	श्री अमरसिंह	प्रभारी सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाये	लोक सूचना अधिकारी
3	श्री दंगलसिंह लहरी	प्रभारी मुख्य लिपिक	सहायक लोक सूचना अधिकारी

बिन्दु क्रमांक 17 — निरंक

उप पंजीयक
सहकारी संस्थाएं जिला गुना

बिन्दु क्रमांक 5 –

- (1) म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960
- (2) म.प्र. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999
- (3) म.प्र. सहकारी नियम 1962

बिन्दु क्रमांक 6–

क्र.	रिकार्ड का नाम	रिकार्ड का प्रकार	रिकार्ड की प्रकृति
	रिकार्ड की अवधि		
1	म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत संस्थाएं	रजिस्टर	विभिन्न सहकारी संस्था से संबंधित 20.01.1965 से
2	म.प्र. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत संस्थाएं	रजिस्टर	स्वायत्त सहकारिताओं से संबंधित 13.07.2000 से
3	केश बुक	रजिस्टर	आय व्यय के संबंध में 01.04.2005 से
4	न्यायालीन प्रकरणों की	रजिस्टर	न्यायालीन पंजी

बिन्दु क्रमांक 7 – इस प्रकार की कोई समिति कार्यालय स्तर पर गठित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक 8 – गवन धोखाधड़ी की समन्वय समिति

क्र.	समिति का नाम	समिति सदस्यों के नाम	सदस्यों की योग्यता
1	गवन धोखाधड़ी की समन्वय समिति	(1) श्री नीतेश व्यास (I.A.S) समिति अध्यक्ष (2) श्री के.के. शर्मा सदस्य (3) श्री के एल रायकवार	कलेक्टर जिला गुना उप पंजीयक जिला सदस्य
	गुना प्रबंधक सी.सी.बी. डी.बी.	(4) श्री आर.के. शर्मा सदस्य	निरीक्षण अधिकारी एल. गुना

बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10 –

क्र.	नाम	पद नाम	मासिक वेतन
1.	श्री के.के शर्मा	उप पंजीयक	20,538.00
2.	श्री अमर सिंह	वरिष्ठ सह. निरीक्षक	9,580.00
3.	श्री आर.पी. बरेलिया	वरिष्ठ सह. निरीक्षक	11528.00
4.	श्री जी.एन. शर्मा	सहकारी निरीक्षक	9941.00
5.	श्री ए.पी. वर्मा	सह. वि. अधिकारी	9871.00

6	64-774- कमजोर वर्ग के अ.जा. के	1750000	174960	सी.सी.बी.
गुना	कृषकों एवं श्रमिकों को प्राथ.साख समि. के अंशक्रम करने हेतु अनुदान			
7	64-4547 लघु एवं सीमांत कृषकों	110000	110000	सी.सी.बी. गुना
	अल्पावधि एवं दीर्घवधि ऋणों पर ब्याज अनुदान			
8.	64-4697 कृषकों को उपभोग ऋण	35000 0	350000	सी.सी.बी.
गुना				
9.	64-5029 अ.जा. के सदस्यों को भ.वि.	40000	39600	एल.डी.बी.
गुना	बैंक के अंश क्रय करने हेतु ऋण			

बिन्दु क्र.12. -

क्र.	संस्था का नाम	आबंटित राशि	हितग्राहियों की संख्या	वर्ष
1.	एल.डी.बी. 2005-06	70,000.00	175	
2.	एल.डी.बी.	39,600.00	66	—
3.	सी.सी.बी.	1,10,000.00	1100	—
4.	सी.सी.बी.	75,000.00	8 संस्थाएं	—
5.	सी.सी.बी.	1,00000.00	500	—
6.	सी.सी.बी.	3,50,000.00	700	—

बिंदु क्र. 13 – जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना के 6597 हितग्राहियों को हिस्सा पूंजी हेतु अनु. जाति एवं जनजाति के सदस्यों को ऋण , ऋणों पर ब्याज अनुदान संस्थाओं के अंश क्रय करने हेतु राशि , सामाजिक उपभोग हेतु ऋण प्रदान किये गये हैं।

बिंदु क्र. 14 –

बिंदु क्र. 15— कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी , सहायक लोक सूचना अधिकारी , प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जिनके माध्यम से सूचनाएं प्रदान की जाएंगी।

